

कार्यालय : प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष एवं फेक्स नं. 07543.220834

ई-मेल hegndcash@mp.gov.in

क्रमांक : 1024 / 19

अशोकनगर, दिनांक : 06.09.2019

पुस्तक क्रय हेतु निविदा आमंत्रण सत्र 2019-20

इस महाविद्यालय में सत्र 2019-20 हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय योजनान्तर्गत मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम हिन्दी ग्रंथ अकादमी के द्वारा पुस्तकों की पूर्ति के पश्चात इन वर्गों की आवश्यकता अनुसार शेष पुस्तकों के क्रय हेतु तथा यू.जी.सी./जनभागीदारी/शासन द्वारा प्राप्त आबंटन से पुस्तकें क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होना चाहिए। अपठनीय/अपूर्ण भावपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जायेगा। भावपत्र सीलबन्द लिफाफे में निम्न विवरण के साथ विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशन के 15 दिवस में महाविद्यालय में स्वयं अथवा डाक द्वारा कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय व तिथि के पश्चात प्राप्त भावपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर जिला अशोकनगर को भेजने का कष्ट करें -

क्र.	प्रकाशन का विवरण	देय छूट	रिमांक
1	नवीन पाठ्यक्रम अनुसार वार्षिक पद्धति एवं सेमेस्टर से संबंधित पाठ्य पुस्तकें स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पुस्तकें -1. स्वयं का प्रकाशन 2. अन्य प्रकाशन		
2	नवीन पाठ्यक्रम अनुसार विधि संकाय की पुस्तकें -1. स्वयं का प्रकाशन 2. अन्य प्रकाशन		
2	म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी/अंग्रेजी से संबंधित पुस्तकें प्रकाशन		
3	उपन्यास हिंदी/अंग्रेजी		
4	संदर्भ ग्रंथ - 1. स्वयं का प्रकाशन 2. अन्य प्रकाशन		
5	भारतीय एवं विदेशी प्रकाशन		
6	शासकीय प्रकाशन		
7	उपरोक्त के अलावा अन्य पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान, जनरल पुस्तकें, कैरियर कंप्यूटर आदि- 1. स्वयं का प्रकाशन 2. अन्य प्रकाशन		

शर्तें-

- लिफाफे के ऊपर पुस्तकालय हेतु पुस्तकें निविदा सत्र 2019-20 अवश्य लिखें।
- निविदा पर वाणिज्य कर विभाग का TIN No./GST Number, पत्र व्यवहार का पता अवश्य लिखें।
- निविदा समय सीमा में ही मान्य होगी तथा निविदा 30-06-2020 तक वैध होगी।
- समय सीमा पर तथा आदेशानुसार पुस्तकें प्रदाय नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। अन्य प्रकाशन की पुस्तकें पर देय छूट अंकित कर तदानुसार पुस्तकें भी प्रदाय करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जावेगा।
- उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र प्रदाय करें।
- भाव पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- भुगतान ई पेमेंट से होगा। अतः बैंक खाता नं. एवं आईएफएससी कोड बिल पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- प्रदाय पुस्तकों पर केवल प्रिंटेड मूल्य ही मान्य होंगे अन्य प्रकार के अंकित मूल्य अस्वीकार होंगे।
- पुस्तकें वार्षिक पद्धति एवं सेमेस्टर प्रणाली के नवीन संस्करण 2019-20 के होने चाहिये।
- पुस्तकों का प्रदाय एफ.ओ.आर. शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर होगा।
- भण्डार क्रय नियमों की समस्त शर्तें लागू होंगी जो फर्म को मान्य होंगी।

(डॉ. ए.के. शर्मा)

प्रभारी प्राचार्य

Attan
06/09/19

कार्यालय : प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष एवं फेक्स नं. 07543.220834

ई-मेल hegndcash@mp.gov.in

क्रमांक : 1024 / 19

अशोकनगर, दिनांक : 06.09.2019

स्टेशनरी निविदा विज्ञप्ति सत्र 2019-20

महाविद्यालय में सत्र 2019-20 हेतु शासन से प्राप्त बजट अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत 500 रु. की स्टेशनरी क्य हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होने चाहिये अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जावेगा। भाव पत्र निम्न विवरण के साथ सील बन्द लिफाफे में विभागीय वेबसाइट में प्रकाशन से 15 दिवस में महाविद्यालय में स्वयं अथवा डांक के माध्यम से कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक प्राप्त होना अनिवार्य है । निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

स.क्र.	स्टेशनरी का नाम	पेज	दर प्रति नग	रिमाक
1	लॉग रजिस्टर ए-4 57 जीएसएम	184		
2	लॉग रजिस्टर ए-4 57 जीएसएम	256		
3	लॉग रजिस्टर ए-4 57 जीएसएम	292		
4	लॉग रजिस्टर ए-4 57 जीएसएम	324		
5	लॉग रजिस्टर ए-4 57 जीएसएम	92		
6	वॉल पेन सेलो/रिनॉल्ड			

शर्तें:-

01. भाव पत्र 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे
02. सामग्री प्रदाय फर्म का जीएसटी एवं पेन होना अनिवार्य है ।
03. भाव पत्र के साथ उक्त सामग्री की नमूना प्रतियां भेजी जानी आवश्यक है बिना निविदा मान्य नहीं होगी ।
04. उपरोक्त दिये गये फॉर्मेट अनुसार ही भाव पत्र प्रदान करें
05. भावपत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य वैधकारित होगा भुगतान ई-पेमेन्ट से होगा अतः बैंक खाता नं. एवं आई.एफ.एस.सी. कोड बिल पर अंकित होना अनिवार्य होगा ।
06. प्रदाय सामग्री पर केवल प्रिंटेड मूल्य ही मान्य होंगे अन्य प्रकार के अंकित मूल्य अस्वीकार होंगे ।
07. स्टेशनरी का प्रदाय एफ.ओ.आर शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर होगा ।
08. समय सीमा तथा आदेशानुसार स्टेशनरी प्रदाय नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
09. लिफाफे पर पुस्तकालय हेतु स्टेशनरी निविदा सत्र 2019-20 अवश्य लिखें ।
10. भण्डार क्य नियमों की समस्त शर्तें लागू होंगी जो फर्म को मान्य होंगी ।

Attender
06/09/19

(डॉ. ए.के. शर्मा)
प्रभारी प्राचार्य